न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 112/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कौशल किशोर गुप्ता, प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   मैसर्स जोशी मिष्ठान भण्डार मालिक श्री रामरतन शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा निवासी, लक्ष्मीनाथ चौक, चौमू, जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 06.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश नारायण शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, चौमू, श्री कौशल किशोर गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 13.02.2012 को जांच करने मैसर्स जोशी मिष्ठान भण्डार पर पहुंचे। जांच कार्यवाही के दौरान दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जिससे रबर की नली द्वारा मौके पर मिठाई हेतु गरम पानी किया जा रहा था तथा मौके पर भण्डारित 3 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में निरीक्षण पर्चा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नारायण शर्मा ने उपस्थिती दी। अप्रार्थी ने दिनांक 17.07.2012 को पेश जवाब में अंकित किया कि दुकान पर केवल दूध व चाय बेचे जाते है। दुकान से जब्त सिलेण्डर खाली था, अगर सिलेण्डर काम में लिया जा रहा होता तो उसमें गैस होती। दुकान के पास स्थित कमरे से जब्त 2 सिलेण्डर अप्रार्थी के मित्र के एवं 1 सिलेण्डर स्वयं के घर का था, जिन्हें अनुचित रुप से जब्त किया गया था। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 13.02.2012 को जब्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग लिया जा रहा था एवं अवैध भण्डारण किया जा रहा था। घरेलू सिलेण्डरों का घर से दूर दुकान पर भण्डारण करना संदेहास्पद है। अप्रार्थी की ओर से जब्त सिलेण्डरों की वैधता के संबंध में मौके पर तथा आज तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेजात के घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग कर एलपीजी(रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान जिसमें 4 घरेलू सिलेण्डर फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा के अनुसार मय गैस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर